::– न्यायालय– पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्र–02 एवं सदस्य, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इन्दौर –::

1. सुधीर पिता नंदकिशोर बैरागी, उम्र–20 वर्ष
नि0–खेतलपुर, जिला रतलाम

——————— प्रार्थी

::– विरूद्ध –::

1. रविंद्र सिंह पिता भोम सिंह
2. इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.

——————— प्रतिप्रार्थीगण

::– अ वा र्ड –::
(दिनांक–14/12/2024)

1. प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस प्रकरण में आवेदक स्वयं को मोटर दुर्घटना में कारित उपहति/स्थायी निर्योग्यता के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति रूपये **26,12,000/–(छब्बीस लाख, बारह हजार) रुपये** प्राप्ति हेतु यह प्रकरण प्रतिप्रार्थी/प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

2. बीमा पालिसी की शर्त अनुसार प्रतिप्रार्थी बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति धन देने के लिये उत्तरदायी है। प्रार्थी व बीमा कम्पनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति धन रूपये **2,40,000/–(दो लाख, चालीस हजार) रुपये** देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। प्रार्थी ने बीमा कम्पनी से उक्त राशि प्राप्त कर इस वाद का सम्पूर्ण निराकरण एवं समाधान हो जाना स्वीकार किया है। प्रार्थी, बीमा कम्पनी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों से अब कोई सहायता नही चाहता है।

3. यह समाधान होता है कि बीमा कम्पनी व प्रार्थी पक्ष के मध्य हुआ समझौता विधि अनुसार है तथा प्रार्थी–प्रतिप्रार्थी पक्ष के दोनों के हित में है।

4. प्रतिप्रार्थी बीमा कंपनी दो माह के अंदर प्रार्थी/प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में उक्त समझौता राशि का भुगतान करे। क्षतिपूर्ति की राशि दो माह की अवधि तक अदा न करने पर प्रतिप्रार्थी/प्रतिप्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आदेशित राशि पर ब्याज का भुगतान करेंगे।

5. उक्त अवार्ड राशि बीमा कंपनी सदस्य, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इंदौर के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक–**53043042754 (IFSC Code No. SBIN0018075)** खाते में एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंकिंग/चेक के माध्यम से जमा कराकर अधिकरण को विहित प्रारूप में सूचित करेंगे।

6. अवार्ड क्षतिपूर्ति राशि अधिकरण में जमा होने पर संपूर्ण राशि बचत खाता के माध्यम से नगद प्रदान की जाए।

7. समझौता प्रमाणित व स्वीकृत कर प्रार्थी/प्रार्थीगण के हित में उक्त राशि का अवार्ड घोषित किया जाता है अवार्ड का समाधान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। अन्य प्रतिप्रार्थी/प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी/प्रार्थीगण ने अपना दावा छोड़ दिया है।

पक्षकार इस प्रकरण का व्यय अपना–अपना भुगतेंगे। अभिभाषक शुल्क पूर्व प्रमाणित हो तो नियमानुसार आंका जावें।

सही/–
सुलहकर्ता सदस्य
(संदीप सेठिया)

सही/–
(विकास चंद्र मिश्र)
पीठासीन अधिकारी खंडपीठ क्रं. 2 एवं
तृतीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा
अधिकरण, इंदौर (म.प्र.)

VIKAS CHANDRA MISHRA

Digitally signed by VIKAS CHANDRA MISHRA
Date: 2024.12.14 17:13:03 +0530